



241

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015

असद खान जीलानी

आयु लगभग 45 वर्ष

आत्मज श्री गुलाम अहमद जीलानी

निवासी - ग्राम छिरारी (मजरा खुदारामपुर)

तहसील लटेरी जिला विदिशा

.....आवेदक

विरुद्ध

1. सै. मोहम्मद खाँ, आयु लगभग 73 वर्ष

आत्मज सै. अहमद खाँ

2. सै. मेहमूद खाँ, आयु लगभग 50 वर्ष

3. सै. नोमान खाँ, आयु लगभग 46 वर्ष

4. सै. मंसूर खाँ, आयु लगभग 44 वर्ष

तीनों आत्मज सै. मोहम्मद खाँ

5. श्रीमती सलमा, आयु लगभग 49 वर्ष

6. श्रीमती हुमा, आयु लगभग 42 वर्ष

दोनों आत्मजा सै. मोहम्मद खाँ

सभी निवासीगण - 155, सुल्तानिया रोड

चार बत्ती चौराहा, गौर हॉस्पिटल के सामने

बुधवारा, भोपाल

.....अनावेदकगण

(७१) अनुबन्ध द्वारीवाल आदेश

दार्ज आठ १८/८/१५-३४ निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश

दिनांक 26.3.2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय,

अनुविभाग लटेरी, जिला विदिशा अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 13/अपील/

12-13 पक्षकारगण असद खान विरुद्ध सै. मोहम्मद खाँ व अन्य

आवेदक की ओर से निवेदन है कि:-

यह कि प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक ग्राम छिरारा मजरा खुदारामपुर तहसील

लटेरी जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 508/1/2/6 क्षेत्रफल 1.312 हेक्टर, खसरा

क्रमांक 509/2/2 क्षेत्रफल 0.307 हेक्टर कुल किता दो कुल क्षेत्रफल 1.619 हेक्टर का

भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है। यह भूमि आवेदक को स्व. श्रीमती नज़मा खातून द्वारा अपना

— १०८ —

- 2 -

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग० R 1427-I/15-

जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-17	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । आवेदक एवं उसके अधिवक्ताक को समय-समय पर आवाज लगवाई गई परंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है । अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थित के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है	 सदस्य